कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:– 911 दिनांक:– 21/9/16

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची

विषय:– **मेसर्स सी0सी0एल0 के पुरनाडीह ओ0सी0पी0 परियोजना हेतु 323.49 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग:– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन, हजारीबाग का पत्रांक 2083 दिनांक 08.09.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि प्रसांगिक पत्र द्वारा सी0सी0एल0 के पुरनाडीह ओ0सी0पी0 परियोजना हेतु 323.49 हे0 वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की छः प्रतियाँ प्राप्त हुई है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन, हजारीबाग के प्रतिवेनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित किया जाता है :–

1. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का विवरण निम्नवत् है :–

प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकवा (हे0 में)	गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज वनभूमि का रकबा (हे0 में)	कुल प्रस्तावित वन भूमि का रकबा (हे0 में)
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल	170.89	152.60	323.49

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव विहित प्रपत्र (पार्ट–I) समर्पित किया गया है तथा उसमें अभियुक्ति दर्ज है।
3. परियोजना से संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल का पार्ट–II, अनुशंसा सहित स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। जिसमें गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि पर 101.73 हे0 पर अवैध खनन् किया जाना प्रतिवेदित किया है।
4. परियोजना से संबंधित मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा द्वारा भरा हुआ पार्ट–III स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन एवं MOEF के वेबसाईट पर अपलोड कर Time line detail की छाया प्रति संलग्न है।
5. प्राप्त प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण का Authorization पत्र संलग्न है।
6. प्रस्ताव के साथ प्राप्त Justification for locating पुरनाडीह ओ0सी0पी0 परियोजना हेतु वनभूमि से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न है।
7. प्रस्ताव के साथ NPV/CA/PCA एवं Others मांग पत्र के अनुसार राशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) दिया गया है, जो संलग्न है।

8. प्रस्ताव के साथ भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा Environmental clearance द्वारा कुल 751.74 हे0 का पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है, जबकि इस परियोजना हेतु पूरे लीज क्षेत्र हेतु 832.94 हे0 रकवा प्रस्तावित है। संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति समर्पित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाध्यता प्रमाण–पत्र (Undertaking) संलग्न किया गया है। मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा को पूरे लीज क्षेत्र का पर्यावरणीय स्वीकृति प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त करने हेतु निदेशित किया जा रहा है।
9. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाले वनभूमि का Preparation of Geo-referenced Boundary Map (in shape file) संलग्न है।
10. प्रस्ताव के साथ प्राप्त Coast benefit analysis संलग्न है।
11. प्रस्ताव के साथ प्राप्त Approval Mining Plan संलग्न है।
12. प्रस्ताव के साथ प्राप्त Mining Plan & Reclamation Plan संलग्न है।
13. प्रस्ताव के साथ प्राप्त Land use Plan (1:40000) संलग्न है।
14. प्रस्ताव के साथ प्राप्त वृक्षों की गणना सूची सारांश के साथ संलग्न है।
15. प्रस्ताव के साथ प्राप्त भूमि विवरणी (Land Schedule) सारांश के साथ संलग्न है। Land Schedule में राजस्व विभाग के किसी पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इस परियोजना का पूरा लीज क्षेत्र 832.94 हे0 है जबकि Land Schedule एवं उसका सारांश 779.138 हे0 का है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति 751.74 हे0 का हैं।
16. प्रस्ताव के साथ प्राप्त वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित वनभूमि यानि 170.89 हे0 का प्रमाण–पत्र संलग्न है परन्तु अपयोजित होने वाले वनभूमि 323.49 हे0 का वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपायुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया है, जो अप्राप्त है परन्तु प्राप्त होने पर समर्पित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता (Undertaking) संलग्न है। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा ने प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त करने हेतु निदेशित किया है।
17. प्रस्ताव के साथ गैर मजरूआ जंगल झाड़ी से संबंधित अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपायुक्त, चतरा से अनुरोध किया गया है, जिसे प्राप्त होते ही गैरमजरूआ जंगल झाड़ी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र समर्पित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता (Undertaking) दिया गया है, जो संलग्न है।
18. प्रस्ताव के साथ प्राप्त वनभूमि से संबंधित ग्राम सभा की प्रति संलग्न है।
19. प्रस्ताव के साथ प्राप्त Rehabilitation & Re-settlement Plan संलग्न है।
20. प्रस्ताव के साथ प्राप्त मूल टोपो मैप 1:50000 स्केल पर अपयोजित होनेवाले भूमि को दर्शाते हुए संलग्न है।
21. प्रस्ताव के साथ प्राप्त वर्ष 1911–12 की ग्राम कैडेस्ट्रल मानचित्र पर अपयोजित होने वाले भूमि को दर्शाते हुए नक्शा संलग्न है।
22. प्रस्ताव के साथ प्राप्त क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का DGPS Survey & Preparation of Geo-referenced Boundary Map (in shape file) of Forest Land संलग्न है। (अलग से संलग्न है।)

23. प्रस्ताव के साथ प्राप्त Map of quarry plan संलग्न है।

24. प्रस्ताव के साथ प्राप्त क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण–पत्र वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा दिया गया है, जो संलग्न है।

25. प्रस्ताव के साथ प्राप्त क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 11 स्थलों का चयन उपरान्त दसवर्षीय योजना का प्राक्कलन संलग्न है।

26. प्रस्ताव के साथ प्राप्त क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का मानचित्र ग्रामवार संलग्न है।

27. अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य पार्ट–IV संलग्न है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कुल 323.49 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु सशर्त्त अनुसंशा की गई है। अधोहस्ताक्षरी उनके मंतव्य से सहमत हाते हुए विषयगत परियोजना हेतु कुल 323.49 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I की स्वीकृति के लिए लोकहित में मानक शर्त्तों पर अनुसंशा की जाती है।

इस परियोजना प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। अतः मूल प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0ः–यथोक्त।

मूल प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ

विश्वासभाजन,

20/9/16

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

D:\SUNIL\CCL\CCL, Purnadih\ CCL Purnadih, 16.09.16.

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

PURNADIH, OCP, (CCL) 323.49 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 323.49 ha. Forest land.

Date :- 20.09.2016

Place :- Ranchi

Signature

20/9/16

(RAMESH RAMSAI HEMBROM)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests
-cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)